

Bill

[श्री कंबर लाल गुप्त]

मित्र ने कहा कि इंग्लैंड के बारे में अवधि क्यों कम कर दी गई है, दूसरी चीजों के लिये जब कि चौदह साल की अवधि रखी गई है, इंग्लैंड के लिये 10 साल की अवधि कर दी गई है—मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि यह अवधि और भी कम होनी चाहिये थी, क्योंकि हिन्दुस्तान की आबादी इतनी ज्यादा है कि अगर दो या तीन साल भी किसी पेटेन्ट की अपना माल बेचने के लिये मिल जाय तो वह 50 करोड़ की आबादी से करोड़ों रुपये कमा सकता है। इस लिये ज्यादा अवधि रखने की जरूरत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार बिल को कन्ज्यूमर के प्वाइन्ट आफ व्यू से, एक साधारण आदमी के प्वाइन्ट आफ व्यू से कौम्प्रीहेन्सिव शकल में बनाये।

इन शब्दों के साथ मुझे खेद है कि इस मामले में मैं बनस्वित श्री दंडेकर के, जिनके साथ मैं बैठता हूँ, सरकार के ज्यादा नजदीक हूँ।

15.01 Hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-FOURTH REPORT

SHRI K. M. Koushik (Chanda) : I beg to move :

"That this House do agree with the Thirty-fourth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 7th August, 1968."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Thirty-fourth Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 7th August, 1968."

The motion was adopted

15.02 Hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—contd.

(Amendment of article 120) by Shri Era Sezhiyan

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now we take up further consideration of the follow-

Bill

ing motion moved by Shri Era Sezhiyan on the 26th July, 1968 :—

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The time allotted is one hour and 30 minutes, of which 18 minutes have been taken. We have now got one hour and 12 minutes. I think, I can call the Minister at ten minutes to 4.00...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Yes.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur) : I am afraid, we have to extend the time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That we shall see, from the progress of the debate.

Mr. Sheo Narain to continue his speech.

श्री शिवनारायण (बस्ती) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के आर्टिकल 120 में दिया गया है कि इस सदन का काम काज चलाने के लिये हिन्दी या अंग्रेजी ये दो भाषायें सर्वमान्य रहेंगी। लेकिन आज मैं क्या देखता हूँ कि देश में भाषा के नाम पर कितनी कटुता बढ़ती जा रही है। हिन्दी जो राष्ट्र की सब से बड़ी भाषा है, देश के सब से ज्यादा लोग जिसको बोलते हैं और ममझते हैं, लंगड़ी और टूटी-फूटी हिन्दी बंगाल में बोलते हैं, बम्बई में बोलते हैं, मद्रास में भी बोलते हैं, आन्ध्र में भी बोलते हैं, आन्ध्र में मैं स्वयं गया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा है कि हिन्दी और उर्दू मिली जुली भाषा की शकल में बोली जाती है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो भाषा देश के इतने बड़े भाग में बोली जाती है, फिर यह कटुता क्यों ? उपाध्यक्ष महोदय, संविधान कोई मजाक नहीं है कि हर समय उस में अदलाव-बदलाव किया जाता रहे। मैं हर भाषा का सम्मान करता हूँ। मैंने अपनी ओपनिंग स्पीच में यह कहा था कि हम उत्तर भारत के लोगों को मलायलम पढ़नी चाहिये ताकि हमारे डी० एम० के० के भाइयों को जो ग़ज़ है, वह दूर हो सके। अभी तो दो ही भाषाओं की यहाँ पर व्यवस्था है, अगर 14 भाषाओं में यहाँ पर कार्यवाही